भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1231

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**न्यायालयों में सरकारी मुकदमों की संख्या में कमी करना**

**1231. श्री एन. गोकुलकृष्णनः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में कमी लाने के लिए मामलों की वित्तीय सीमा में शीघ्र वृद्धि कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष सरकार द्वारा किए गए किसी विश्लेषण में पता चला है कि सारे न्यायालयों में सभी मुकदमों के 46 प्रतिशत मामले या अपील केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गए थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यदि सरकारी मुकदमों की संख्या में कमी आ जाए तो 3.5 करोड़ लंबित मामलों के डॉकेट में कमी आ जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ङ) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*